न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 158/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
किशोर सिह दत्तक पुत्र सोहन सिह जाति राजपुरोहित निवासी गोविन्दला, तहसील आहोर जिला जालोर		1– ग्राम पंचायत चेण्डा तहसील रोहट, जिला पाली 2– मेती धर्मपत्नी हिरसिह जाति राजपुरोहित निवासी धरमधारी तहसील रोहट जिला पाली

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 27–6–2016 जो राजस्व अपील संख्या 7/2014 मे उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हिम्मत सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री प्रकाश भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–11–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 2 श्रीमती मेतीदेवी पत्नी हिरसिह पुत्री स्व0 सोहनसिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम धरमधारी तहसील रोहट ने ग्राम हंजावा के म्युटेशन संख्या 143 दिनांक 7–5–86 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष वर्ष 2013 मे यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि वह मृतक खातेदार सोहनसिह की एकमात्र जायंदा पुत्री एवं प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस के जीवित रहते उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे उतराधिकार का म्युटेशन वर्तमान किशोर सिह को सोहनसिह का गोद पुत्र दर्शाते हुए स्वीकृत कर दिया,जबकि किशोर सिह तो सोहनसिह के भाई सरताण सिह का जायंदा पुत्र है तथा उसके माता–पिता ने उसे कभी भी गोद नही लिया था उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व मृतक सोहनसिह की पत्नी एवं पुत्री को बिना सुचित कये म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने तथा उक्त म्युटेशन अपीलार्थियां (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2) के पक्ष मे स्वीकृत करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील को राजस्व लोक अदालत केम्प चेण्डा मे दिनांक 27–6–2017 को रखते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 पर ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–86 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रोहट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक सोहनसिह के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर अपीलाधीन म्युटेशन से संबंधित कृषि भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नामांतरकरण पर विधिसम्मत आदेश पारित करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । उक्त अपील इस

न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त म्युटेशन अपीलांट के पक्ष मे गोदपुत्र के रूप मे वर्ष 1986 मे सरपंच ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे मृतक खातेदार सोहनसिह की पत्नी सजना बाई द्वारा अपीलांट के पक्ष मे गोदनामे का दस्तावेज दिनांक 2–12–85 को उप पंजीयक भाद्राजून के कार्यालय मे पंजीबद्ध करवाया था इसलिए अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड गोदनामा का दस्तावेज आज भी अस्तित्व मे है इसलिए रजिस्टर्ड गोदनामे के अस्तित्व मे रहते अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त नही किया जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 को निरस्त करने मे विधिक त्रुटि की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 2 मेतीदेवी पुत्री सोहनसिह ने अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज दिनांक 2–12–85 को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायाधीश जालोर के न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 1/2017 है, जो ए.सी.जे.एम.न्यायालय जालोर मे विचाराधीन है। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी इस बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपने पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे का दस्तावेज तथा उक्त गोदनामे को निरस्त करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा सिविल न्यायालय जालोर मे प्रस्तुत वाद की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आदेशिका दिनांक 18–3–16 से धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जवाब पर बहस मे दिनांक 6–5–16 तक विचाराधीन थी, उसके पश्चात पत्रावली को सीलनुमा आदेशिका जो बिना हस्ताक्षर के है, तथा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प मे ले जाकर दिनांक 27–6–16 को रेस्पो0 किशोर सिह की कोई सुनवाई नही की केवल आदेशिका मे उपस्थिति दर्ज करवाते हुए तथा उसकी सहमति बताते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारो के बीच आपस मे कोई सहमति या समझोता हुआ ही नही था फिर भी सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन वर्ष 1986 मे अपीलांट के पक्ष मे गोद पुत्र के रूप मे स्वीकृत किया गया था तब से ही अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त म्युटेशन स्वीकृति के लगभग 27 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से धारा 5 मयाद

अधिनियम का जवाब भी प्रस्तुत किया था जिसमे रेस्पो0 मेतीदेवी को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी पूर्व से ही होने बाबत उल्लेख किया गया था तथा पत्रावली मयाद प्रार्थना पत्र पर बहस मे विचाराधीन थी जिसमे अधिवक्ता को बहस करनी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुने 27 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 मे जो सहखातेदार थे जिनमे से मोहनसिह, सुल्तानसिह, सुरजमल का देहांत हो चुका था तथा वे आवश्यक पक्षकार थे, जिनको अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील प्रस्तुत की थी इसलिए असंयोजन पक्षकार के अभाव मे भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील खारीज योग्य थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2019 डी.एन.जे. (राज) पेज 165 एवं 2019 डी.एन.जे.(राज) पेज 147 की निर्णय नजीरें प्रस्तुत की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस जो पत्रावली पर उपलब्ध है, मे रेस्पो0 संख्या 2 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 स्व0 खातेदार सोहनसिह जी की जायंदा पुत्री है तथा अपीलांट किशोर सिह उनका जायंदा पुत्र नही है इसके बावजुद उक्त नामांतरकरण संख्या 143 ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा दिनांक 7–5–86 को विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत कर दिया तथा यह भी कथन किया कि उक्त नामांतरकरण स्वीकृति के समय प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं उसकी माता सजनीकंवर जीवित थी उसकी माता का देहांत वर्ष 1993 मे हुआ था फिर भी ग्राम पंचायत ने मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो प्रारंभ से ही शून्य था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि प्रश्नगत निर्णय अपीलांट की उपस्थिति मे दिनांक 27–6–2016 को पारित किया था तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट पढा लिखा व्यक्ति है तथा उक्त आदेश की जानकारी उसे निर्णय की दिनांक से ही थी फिर भी अपीलार्थी ने झूठा एवं गलत कथन किया कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23–9–2016 को हुई इसलिए मयाद के बिन्दु पर भी अपीलांट की अपील खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलांट ने अपील मे यह गलत कथन किया कि उसे सुनवाई का मौका नही दिया गया जबकि अपीलांट स्वयं राजस्व केम्प चेण्डा मे उपस्थित था आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर है तथा वास्तविक तौर पर केम्प मे दोनो पक्षो को सुना गया था तथा यह भी कथन किया कि लोक अदालत मे अधिवक्ता की आवश्यकता नही होती क्योकि केम्प कोर्ट मे दोनो पक्षो की

सहमति से लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया जाता है, इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलांट स्वयं को सुनकर उसकी सहमति से पारित किया हुआ होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे मृतक खातेदार सोहनसिह की ग्राम गोविन्दला तहसील आहोर जिला जालोर की अन्य भूमियों के संबंध मे खातेदार सोहनसिह की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर अपीलांट किशोर सिह के नाम स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या क्रमशः 29 दिनांक 5–12–88 एवं एवं नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 18–12–88 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर से समक्ष प्रस्तुत दोनो प्रथम अपीलो मे उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार आहोर को मृतक सोहनसिह के विधिक वारिसान की जांच कर, उभयपक्ष को सुनकर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया था तथा उक्त दोनो अपीलो के विरूद्ध अपीलांट किशोरसिह ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे दो द्वितीय अपीले पेश हुई जो दोनो अपीले दिनांक 6–5–2015 को खारीज कर दी गई थी ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि अपीलांट को कभी भी रेस्पो0 संख्या 2 के माता–पिता द्वारा गोद नही लिया गया था और न ही गोदनामे की कोई रस्म हुई थी तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट अपने पक्ष मे जो गोदनामे का दस्तावेज बताते ह वह हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानो के विपरीत होने से गोदनामा अवैद्य एवं प्रभाव शून्य है इसलिए अपीलांट गोदनामे के आधार पर कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तहसीलदार को दोनो पक्षो को सुनने एवं स्व0 सोहनसिह के विधिक वारिसान की जांच करने के बाद ही म्युटेशन की कार्यवाही के निर्देश दिये है जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस/लिखित बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं वर्तमान अपील पत्रावली एवं उसमे प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 ग्राम हंजावा आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का भी अध्ययन किया ।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 ग्राम हंजावा का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि उक्त म्युटेशन उतराधिकार का भरा जाकर स्वीकृत हुआ है जिसमे अपीलांट किशोर सिह को सहखातेदार सोहनसिह का गोद पुत्र बताते हुए सरपंच ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा वर्ष 1986 मे स्वीकृत किया गया था । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2013 मे लगभग 27 वर्षो के विलंब

से यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि अपीलांट किशोर सिह को रेस्पो0 संख्या 2 मेतीदेवी के माता पिता ने कभी गोद नही लिया था । रेस्पो0 संख्या 2 मेतीदेवी ही एकमात्र मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्री है इसलिए अपीलांट किशोर सिह के नाम गोदपुत्र के रूप मे स्वीकृत किया गया नामांतरकरण संख्या 143 विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 27 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील मे नामांतरकरण संख्या 143 की जानकारी रेस्पो0 को कैसी हुई, बाबत कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही होने पर भी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18–3–16 को धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली प्रार्थना पत्र पर बहस मे दिनांक 6–5–16 तक विचाराधीन थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली को बिना तारीख एवं हस्ताक्षर की सीलनुमा आदेशिका के जरिये दिनांक 27–6–16 को केम्प कोर्ट चेण्डा मे ले जाकर अपीलांट किशोर सिह की उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर करवाते हुए, अपीलांट की सहमति का उल्लेख करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 143 दिनांक 7–5–86 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रोहट को रिमाण्ड करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 143 जो गोदपुत्र के रूप मे अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत किया गया है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलांट किशोर सिह के पक्ष मे मृतक सोहनसिह की पत्नी सजना बाई द्वारा दिनांक 2–12–85 को निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिससे रेस्पो0 संख्या 2 मेतीदेवी का यह कथन गलत सिद्ध होता है कि उसके माता–पिता ने अपीलांट किशोर सिह को कभी गोद लिया ही नही था ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट किशोर सिह के पक्ष मे उसकी माता सजना बाई द्वारा दिनांक 2–12–85 को निष्पादित किये गये रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज को शून्य घोषित करवाने के लिए रेस्पो0 संख्या 2 मेतीदेवी स्वयं ने सिविल न्यायालय जालोर मे एक दावा संख्या 1/2017 प्रस्तुत कर रखा है उक्त दावे की छायाप्रति वकील अपीलांट ने इस न्यायालय मे फार्म संख्या 3 के सलंग्न प्रस्तुत की है । ऐसे मे अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज को जब तक सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक अपीलांट किशोर सिह को मृत खातेदार सोहनसिह का गोदपुत्र दर्शाते हुए पारित किये गये म्युटेशन संख्या 143 को निरस्त करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2016 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रोहट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज को शून्य घोषित करवाने के संबंध मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 मेतीदेवी द्वारा सिविल न्यायालय जालोर मे प्रस्तुत वाद मे पारित होने वाले अंतिम निर्णय के परिपेक्ष्य मे नामांतरकरण बाबत विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करें ।

निर्णय आज दिनांक 13–11–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.11.20 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: